म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/वि.अनु./साइलो बैग इंडिया/679/2937 भोपाल,दिनांक 13/07/2023

प्रति,

1 Manager,
Silo Bag India Pvt.Ltd,
653, Aggarwal Metro Heights, E-5,
Netaji Subhash Place, Pitampura
Delhi-110034

2 Silo Bag India Pvt. Ltd,
In Front Of Aara Machine, Narmadapuram Road,
Makhannagar Narmadapuram (M.P.)-461661

विषयः-म. प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (यथा संशोधित) के अधीन स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति मे क्रय केन्द्र जोडे जाने के संबंध मे।

संदर्भः- मेसर्स साइलो बैग इंडिया प्रा.लि. दिल्ली का पत्र दिनांक 22/06/2023

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति मे कृषि उपज मण्डी समिति छपारा जिला सिवनी के क्षेत्रान्तगर्त अधिसूचित कृषि उपज "धान्य तथा दलहन" के क्रय हेतु 01 क्रय केन्द्र जोडे जाने की अनुमति चाही गई है। उक्त विनिर्दिष्ट मंडी में खरीदी हेतु प्रतिभूति स्वरूप रूपए 01 लाख की आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली की एफडीआर दिनांक 30/05/2023 मंडी बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 30/05/2028 तक है।

2 पूर्व मे M/S Silo Bag India Pvt. Ltd को कृषि उपज मण्डी समिति सिवनी एवं चौरई के मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज ''धान्य तथा दलहन'' के लिए 02 क्रय केन्द्र के लिए विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। फर्म की रूपये 4,00,000/- लाख की एफडीआर मंडी बोर्ड मे जमा है।

mail

3 नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार M/S Silo Bag India Pvt. Ltd को कृषि उपज मंडी छपारा जिला सिवनी मे अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के क्रय-विक्रय के लिए, अनन्तिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 मे परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है ।

पूर्व मे स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति आदेश दिनांक 31/03/2023 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/वि.अनु./साइलो बैग इंडिया/679/2938 भोपाल,दिनांक 13/07/2023

प्रतिलिपि :-

1 संयुक्त/उप संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। M/S Silo Bag India Pvt. Ltd Narmadapuram को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 मे उपनियम (2) के अधीन उपरोक्तानुसार नवीन विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे विशेष अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे ।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति. जिला. म. प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु M/S Silo Bag India Pvt. Ltd Narmadapuram को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे।

3. सहायक संचालक (आई.टी.) म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी M/S Silo Bag India Pvt. Ltd Narmadapuram को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति मे उक्त क्रय केन्द्र छपारा को ई- अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/28 दिनांक 31/03/2023

(दिनांक 13/07/2023 को यथासंशोधित)

श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स मेसर्स साइलो बैग इंडिया प्रा.लि. दिल्ली (SILO BAG INDIA PVT. LTD. In Front of Aara Machine, Narmdapuram Road, Makhannagar Narmdapuram (M.P.)-461661) को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु तारीख 31 माह मार्च वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनन्तिम रूप से दी जाती है :-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	धान्य तथा दलहन के अंतर्गत "धान्य"	सिवनी	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति सिवनी जिला सिवनी	राधे वेयर हाउस, गोरखपुर कला (बण्डोल) जिला सिवनी	**SILO BAG INDIA PVT. LTD. In Front of Aara Machine, Narmdapuram Road, Makhannagar Narmdapuram (M.P.)-461661)**	श्री मनीराम शर्मा मो.नं.- 7489274875
2	धान्य तथा दलहन के अंतर्गत "धान्य"	चौरई	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति चौरई जिला छिन्दवांडा	ग्राम-नोनीबर्रा, पानी की टंकी के पास, तह. चांद, जिला छिन्दवाडा	**In Front of Aara Machine, Narmdapuram Road, Makhannagar Narmdapuram (M.P.)-461661)**	श्री हरीश कुमार विश्वकर्मा मो.नं.- 9685580001

3	धान्य तथा दलहन	छपारा	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति छपारा जिला सिवनी	ग्राम सादक सिवनी, हल्का सादक, छपारा	In Front of Aara Machine, Narmdapuram Road, Makhannagar Narmdapuram (M.P.)-461661)	श्री धमेन्द्र पटेल मो.नं.-9592002841

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में) {नियम 4 (2) देखिए}
2	धान्य तथा दलहन	2,000 मेट्रिक टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 31/03/2023 से 30/03/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करनें पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)